फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी महोदय मुकाम बायतु

किशनाराम वगैरा   बनाम   आसुराम वगैरा

किस्म मुकदमा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 नं. 01/16 सन 2016

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
01.01.16	प्रार्थीगण की ओर से वकील श्री रिणछाराम सियाग द्वारा यह आवेदन धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 के तहत पेश किया गया गया जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थीगण को अन्तरिम आदेश हेतु उनकी एकपक्षीय बहस को सुना गया। पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजों का गम्भीरता पूर्वक अध्यनन किया गया। राजस्व रेकर्ड के अनुसार प्रार्थीगण की भूमि पैतृक है। वकील प्रार्थीगण के अनुसार विप्रार्थीगण पैतृक कृषि भूमि के निश्चित भू–भाग को बेचने पर आमादा है और यदि ऐसा हो गया तो वाद बहुलता बढ़ेगी। वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गम्भीरता पूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति एवं प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष का बनना प्रतीत होता है। अतः विप्रार्थीगण को आगामी पेशी तारीख 29.02.2016 तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है एवं अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि विवादित आराजी मौजा जोगासर कुंआ पटवार मण्डल छीतर का पार तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 351 रकबा 97.12 बीघा, खसरा नम्बर 418/353 रकबा 222.17, खसरा नम्बर 446/353 रकबा 15.02 बीघा, खसरा नम्बर 623/353 रकबा 12.05 बीघा भूमि में विप्रार्थीगण प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की बाधा, हस्तक्षेप कारित नहीं करें, न ही किसी प्रकार की सड़क आदि का निर्माण करें तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखें। विप्रार्थीगणों को स्थगन नोटिस जारी होकर मिसल वास्ते जवाब दिनांक 29.02.2016 को पेश हों। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

Scanned by CamScanner

सेवामें.

29/02/16 प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगणों के नोटिस तामील होकर तामील अप्राप्त। इन्तजार होकर पत्रावली वाइन्दा दिनांक 25/04/16 को पेश हो। तब तक स्थगन आदेश पूर्व आदेशानुसार यथावत रहेगा।

25/04/16 प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगणों के नोटिस तामील होकर तामील अप्राप्त। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इन्तजार होकर आगामी दिनांक 04/10/16 को पेश हो।

04/10/16 प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगणों के नोटिस तामील होकर तामील अप्राप्त। श्रीमान पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण हो चुका है अतः मिसल इन्तजार होकर आगामी दिनांक 07/11/16 को पेश हो। तब तक स्थगन आदेश पूर्व आदेशानुसार यथावत रहेगा।

07/11/16 प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगणों के नोटिस तामील होकर तामील अप्राप्त। श्रीमान पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से मिसल इन्तजार होकर आगामी दिनांक 25/01/17 को पेश हो। तब तक स्थगन आदेश पूर्व आदेशानुसार यथावत रहेगा।

25/01/17 प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगणों के नोटिस तामील होकर तामील अप्राप्त। प्रार्थी वकील विपक्षीगणों के नोटिस पुनः पेश करें, पेश होने पर जारी होकर पत्रावली वाइन्दा दिनांक 28/06/17 को पेश हो। तब तक स्थगन आदेश पूर्व आदेशानुसार यथावत रहेगा।

28/06/17 पत्रावली आज न्याय आपके द्वार अभियान-2017 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत ढीलर का पार में रखी गई। प्रार्थी वकील उपस्थित। प्रार्थी वकील द्वारा अपना मूल वाद Not press कर दिया है। इसलिए आवेदन को चलाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः आवेदन इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, मूल वाद के संलग्न रहे।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

Not press
28/6/17
Adv